

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री
अनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1 बाबूलाल 2 आसूराम पिसरान भीखाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) 3 दमी पुत्री भीखाराम पत्नी दलाराम जाति जाट निवासी उण्डखा 4 माली पुत्री भीखाराम पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासी बांकाणा कुआ (गरल) तहसील व जिला बाडमेर।

1 भीखाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील व जिला बाडमेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 52/2019


निर्णय दिनांक :- 02.07.2019

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.07.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों का तला (गरल) पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 620/328 रकबा 90.00 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी भीखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी भीखाराम प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 02.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(नीरज मिश्र)

पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
4 रूपये पर प्लीडर की फीस	अर्जी के लिए स्टाम्प
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	प्लीडर की फीस
6 कमिश्नर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
7 आदेशिका की तामिल	आदेशिका की तामिल
	कमिश्नर की फीस